कार्यालय,दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,राँची

आवश्यक सूचना

एतद द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ,राँची की बैठक दिनांक 04.10.2023 को पूर्वाहन 11:30 बजे से आयुक्त सह अध्यक्ष , दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ,राँची के सभा कक्ष में होगी । उक्त बैठक में सरकार द्वारा विनिर्धारित मार्गो पर परमिट/परमिट नवीकरण /संसोधित समय सारिणी एवं प्रतिहस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण आवेदनों के आवेदन पत्रों पर तथा पूर्व प्राधिकार की बैठक में लंबित विषयों पर विचार किया जाएगा । परमिट/परमिट नवीकरण /संसोधित समय सारिणी एवं प्रतिहस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर नवीकरण से संबंधित आवेदन ऑनलाइन spermit.jharkhand.gov.in पर ही स्वीकार किया जाएगे । आवेदन समर्पित करने एवं अन्य तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है ।

बैठक की तिथि	04.10.2023
ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि	13.09.2023
समय सारिणी के प्रकाशन की तिथि	14.09.2023
ऑनलाइन आपत्ति समर्पित करने की अंतिम तिथि	20.09.2023

1. ऑनलाइन आवेदन संबंधित वाहन के अधतन कागजातों यथा निबंधन पुस्तिका ,अधतन कर प्रतीक,दुरुस्ती प्रमाण पत्र ,बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र (कम से कम दिनांक 04.10.2023 तक मान्य) एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ UPLOAD होना चाहिए ।
2. पूर्व से किसी मार्ग पर परमिट से आवृत वाहन पर परमिट प्रत्यार्पण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आवेदन विचारार्थ बैठक में रखा जाएगा तथा स्थायी परमिट से आवृत वाहनों का प्रत्यार्पण के पश्चात केवल स्थायी परमिट के लिए ही प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा ।
3. आवेदन पत्र के साथ एक स्व-घोषणा /शपथ पत्र देना होगा जिसमे सभी कागजातों की सत्यता,वाहन के स्पेयर होने के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा ।
4. आवेदित वाहन डीलक्स एवं ए०सी० है तो इसका प्रमाण पत्र मोटर यान निरीक्षक से प्राप्त कर देना आवश्यक होगा ।
5. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ परमिट की ,निबंधन पुस्तिका ,अधतन कर प्रतीक ,दुरुस्ती प्रमाण पत्र ,बीमा प्रमाण पत्र एवं सरकार द्वारा अनुमोदित गति नियंत्रक फिटमेंट प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति UPLOAD किया जाना आवश्यक होगा ।
6. नवीकरण से संबंधित आवेदनों पर बैंक से वित् प्रदत रहने पर संबंधित बैंक से अनापति प्रमाण पत्र UPLOAD करना अनिवार्य होगा ।
7. आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा।
8. प्रस्तावित समय सारिणी पर की जाने वाली आपत्ति सम्बंधित परमिट समय सारिणी की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं मान्य शुल्क के साथ अपलोड किया जाने पर की आपतियो को विचार हेतु प्राधिकार की बैठक में सम्मिलित किया जाएगा । आपाति आवेदन में स्पष्ट रूप से आपति बिंदु का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा ।
9. किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण आवेदन पर प्राधिकार की बैठक में विचार नहीं किया जाएगा ।
10. परमिट की स्वीकृति के पश्चात परमिट निर्गमन के समय संबंधित वाहन का सभी मूल कागजात सत्यापन हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
11. वैसे वाहन स्वामी जिनके वाहन का श्रेणी का निर्धारण नहीं हुआ है परमिट की स्वीकृति के पश्चात् वाहन का श्रेणी का निर्धारण के उपरांत नया निबंधन पुस्तिका प्रस्तुत करने पर ही परमिट निर्गत किया जाएगा ।
12. आसन्न बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर भी विचार किया जा सकेगा ।

आयुक्त सह अध्यक्ष के आदेशानुसार

ह० 6/9/23

उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव
दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक
परिवहन प्राधिकार ,राँची